



उ० प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि०

14 - अशोक मार्ग, शक्ति भवन, लखनऊ - 226001

U.P. RAJYA VIDYUT UTPADAN NIGAM LTD.

14- ASHOK MARG, SHAKTI BHAWAN, LUCKNOW-226001

पत्र सं०: 889-मा०सं०-03/उ०नि०लि०/2011-5(8) मा०सं०-03/2009

दिनांक: 3/6/2011

"कार्यालय ज्ञाप"

एतद्वारा माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा याचिका संख्या 27561/2004 व याचिका सं० 12180/2005 में पारित आदेशों के विरुद्ध निगम द्वारा दायर क्रमशः विशेष अपील सं० 1504/2005 व सं० 1503/2005 एवं निगम द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय में दायर विशेष अनुमति याचिका सं० 9654/2006 के निर्णय के अनुपालन में अधोलिखित अवर अभियन्ताओं (सा०श्रे०) (वै०एवंया०) जिनकी नियुक्ति स्थानापन्न एवं अस्थाई अवर अभियन्ता (सा०श्रे०) (वै०एवंया०) के पद पर कार्यालय ज्ञाप सं० 3741 मा०सं०-03/उ०नि०लि०/2009-5(8)-मा०सं०-03/2009 दिनांक 01.09.2009 द्वारा की गई है। को दिनांक 02.02.2005 से परिचालकीय संवर्ग से अवर अभियन्ता पद पर चयनित मानते हुए कार्यालय ज्ञाप सं० 411 एवं 412-मा०सं०-03/उ०नि०लि०/2005-9(31) मा०सं०-03/2002 दिनांक 26.02.2005 के अनुक्रम में दिनांक 26.02.2005 से अवर अभियन्ता पद पर प्रकल्पित पदोन्नति प्रदान की जाती है :-

क्र०सं०	नाम	पिता का नाम	वर्तमान तैनाती
1	श्री अरुण कुमार दुबे	श्री संकटा प्रसाद दुबे	अनपरा
2	श्री मंगलेश कुमार सिंह	श्री रामनाथ सिंह	अनपरा
3	श्री अपरेश दास	श्री उमाकान्त दास	अनपरा
4	श्री हरिश्चन्द्र	श्री श्रीपति	ओबरा
5	श्री अभिजीत गुहा	स्व० सुरेन्द्र नाथ गुहा	पनकी
6	श्री रविन्द्र सिंह केमकर	श्री धर्मजीत सिंह	अनपरा
7	श्री रामा शंकर	स्व० बिहारी प्रसाद	अनपरा

उपरोक्त अवर अभियन्ताओं को उक्त प्रकल्पित पदोन्नति निम्न शर्तों के अधीन प्रदान की है :-

1. अवर अभियन्ताओं को कार्यालय ज्ञाप सं० 411 एवं 412-मा०सं०-03/उ०नि०लि०/2005-9(31) मा०सं०-03/2002 दिनांक 26.02.2005 के द्वारा नियुक्त अवर अभियन्ताओं के साथ प्रकल्पित पदोन्नति प्रदान की जाती है।
2. उक्त प्रकल्पित पदोन्नति के फलस्वरूप प्रश्नगत अवर अभियन्ताओं का अवर अभियन्ता पद पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि को वेतन निर्धारण दिनांक 26.02.2005 से प्रकल्पित आधार पर निर्धारित किया जायेगा।
3. उक्त प्रकल्पित पदोन्नति के फलस्वरूप किसी भी प्रकार का अवशेष (Arrear) एवं अवर अभियन्ता (सा०श्रे०) (वै०एवंया०) के पद पर कार्यभार ग्रहण के पूर्व किसी भी प्रकार का वित्तीय लाभ प्रदान नहीं किया जायेगा।
4. कार्यालय ज्ञाप संख्या 411 एवं 412-मा०सं०-03/उ०नि०लि०/2005-9(31) मा०सं०-03/2002 दिनांक 26.02.2005 के द्वारा नियुक्त अवर अभियन्ताओं के साथ प्रश्नगत अवर अभियन्ताओं को यथा स्थान संयुक्त वरिष्ठता प्रदान की जायेगी।

अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक

क्रमशः 2/-



उ० प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि०

14 - अशोक मार्ग, शक्ति भवन, लखनऊ - 226001

U.P. RAJYA VIDYUT UTPADAN NIGAM LTD.

14- ASHOK MARG, SHAKTI BHAWAN, LUCKNOW-226001

: 2 :

पत्र सं० 889 - मा०सं०-03/उ०नि०लि०/2011 तद्दिनांक :-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि०, लखनऊ के स्टाफ ऑफिसर।
2. निदेशक (तकनीकी) / (वित्त) उ०प्र०रा०वि०उ०नि०लि०, लखनऊ।
3. मुख्य अभियन्ता, ओबरा/अनपरा/पनकी ताप विद्युत गृह, उ०प्र०रा०वि०उ०नि०लि०, ओबरा, अनपरा (सोनभद्र)/पनकी(कानपुर) को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि इस आदेश की एक प्रति सम्बन्धित अवर अभियन्ताओं को भी अपने स्तर से उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
4. मुख्य अभियन्ता (मा०सं०), उ०प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि०, लखनऊ।
5. सचिव, उ०प्र० पावर सेक्टर इम्प्लाइज ट्रस्ट, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
6. उप महाप्रबन्धक (मा०सं०-01./02/04/05/06) उ०प्र०रा०वि०उ०नि०लि०, लखनऊ।
7. उप महाप्रबन्धक (प्रशिक्षण) / (रिफार्म) / (औ०सं०) उ०प्र०रा०वि०उ०नि०लि०, लखनऊ।
8. प्रोजेक्ट मैनेजर-तृतीय (प्रगति) उ०प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि०, लखनऊ।
9. वैयक्तिक पत्रावली/कट फाइल।

फैक्स

आज्ञा से,

(वी०पी० कटियार)

अधीक्षण अभियन्ता (मा०सं०-03)